

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर-जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 509 / प्रार्थना-पत्र / 2019
मि० नं० 936 / दावा / 2017
(पूर्व मि० नं० 685 / 14)
दायरा 04 / 07 / 2014

उनवान

कालूलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह० खानपुर
- वादीगण / अप्रार्थी
बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र पन्नागिरी जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
3. रामविलास पुत्र मोहनलाल जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
4. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
5. गीताबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि रामेश्वर जाति गुसाई निवासी नागदा तह० अंता जिला वारां
6. मंजूबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि गणेश जाति गुसाई निवासी मोडक गांव तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. राधेश्याम पुत्र पन्नागिरी जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
8. बदरीबाई पुत्री किशना जाति गुसाई निवासी दहीखेडा तह० खानपुर
9. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहव तहसील खानपुर
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय खानपुर जिला झालावाड़
- प्रार्थी / प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०


उपस्थित:- श्री आँकारेश्वरम शर्मा एडवोकेट - प्रार्थी / प्रति० नं० 1
श्री हंसराज मीणा एडवोकेट - अप्रार्थी / वादी

निर्णय

दिनांक 09/10/2019

प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी नं० 1 ने दिनांक 05.03.2019 को जर्गे अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है, जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। इस वाद

(1)


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

में वादी/प्रतिपक्षी द्वारा वाद के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु इकरारनामा दिनांक 09.05.1988 के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध अनुतोष चाहते हुये प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य प्रतिवादीगण को सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विधि की मंशा के अनुरूप इकरारनामों के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट पोषणीय नहीं है एवं माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त इकरारनामों के आधार पर सविदा की विशिष्ट अनुपालना का वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त इकरारनामा दिनांक 09.05.1988 के आधार पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि की मंशा के अनुरूप लिमिटेशन एक्ट के अनुसार इकरारनामों की शर्तों की पालना हेतु तीसरे नोटिस तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दिया जाना आवश्यकीय (Mandatory) प्रावधान है एवं उक्त नोटिस के अभाव में कोई भी वाद क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार बाधित होने से पोषणीय नहीं है। उपरोक्त अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 09.05.1988 प्रारम्भिक रूप से शून्य होने के कारण उक्त इकरारनामों के आधार पर कोई भी वाद विधि की मंशा के अनुरूप पोषणीय नहीं है क्योंकि विधि की मंशा के अनुरूप 100/- रु० से अधिक की अवल सम्पत्ति का विक्रय जरिये पंजीकृत दस्तावेज के ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपी अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी को दिलायी गयी। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त उनवान का वाद साक्ष्यवादी में नियत है। वाद का निर्णय वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर ही किया जाना है। वाद इस स्टेज पर खारिज होने योग्य नहीं है। उक्त दस्तावेज कॉलेटर परपज के लिये साक्ष्य न चाह्य है। इसलिये उक्त वाद का निर्णय मुण दोष के आधार पर किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिपक्षी 1 ने लिखित बहस इस प्रकार प्रस्तुत की कि इस उनवान का वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु इकरारनामा दिनांक 09.05.1988 के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध अनुतोष चाहते हुये प्रस्तुत किया है। विधि की मंशा के अनुरूप इकरारनामों के आधार पर कोई भी अनुतोष राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार विधि के अनुरूप बाधित है। इकरारनामों के आधार पर सविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद तीन वर्ष की अवधि के अन्दर सिविल न्यायालय में ही पोषणीय है एवं इकरारनामा नियामक बाधित है व अपंजीकृत दस्तावेज है जो साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है तथा विधि की मंशा के अनुरूप उक्त वर्णित इकरारनामों के आधार पर किसी अनुतोष की मांग नहीं की जा सकती। वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि वादी के द्वारा अनुतोष राजस्थान सरकार के विरुद्ध चाहा गया है। शेष अन्य को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। उक्त परिस्थितियों में विधि की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार को नोटिस दिये बिना वाद पोषणीय नहीं है। वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसके द्वारा

प्रस्तुत वाद में उसने इकरारनामों के आधार आराजी अपने कब्जे में आना बताया है। उसके द्वारा अनुतोष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर चाहा गया है। विधि की मंशा के अनुरूप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि विधि की मंशा के अनुरूप प्रतिकूल कब्जे के आधार का संरक्षण मात्र कब्जे के संबंध में ही किया जा सकता है। वादी के द्वारा वाद पत्र में स्वीकृति है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका पजेशन इकरारनामों के आधार पर हुआ है। अर्थात् विधि की मंशा के अनुरूप वादी का कब्जा परमेशिव पजेशन की परिभाषा में आता है एवं जब परमेशिव पजेशन की स्वीकृति है तो विधि की मंशा के अनुरूप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई भी अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के तहत सव्यय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज नं० 582 गोकुलचंद वनाम् रामसहाय, आर.आर.डी 2006 पेज 107, आर.आर.डी. 2009 पेज 238 जगदीशनारायण वनाम् राधेश्याम, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 791 व आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश वनाम् सीतारम की नजीर भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में वाद एवं जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया है कि हमारा वाद साक्ष्यवादी में नियत है, जिसका निर्णय उभय पक्ष की साक्ष्य ली जाकर ही किया जाना है। वाद इस स्टेज पर खारिज होने योग्य नहीं है। हमारा दस्तावेज कॉलेटर परपज के लिये साक्ष्य में ग्राह्य है। वाद का निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जाना कानूनन रूप से आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/प्रति०नं० 1 ने वादी के वाद को विधि के प्रावधानों के विपरीत बताते हुये इसे खारिज किये जाने हेतू आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं ग्राम कंथूनी की जमाबंदी सं० 2070-73 की खाता सं० 87 की ख०नं० 208 रकबा 0.18 बीघा, ख०नं० 209 रकबा 1.05 बीघा, ख०नं० 210 की 22.07 बीघा आराजी मोहनलाल, बाबूलाल, राधेश्याम पिसरान पन्नागिरी, बदरीवाई पुत्री किशन हि०व० कौम गुसाई सा० दहीखेडा के खाते दर्ज है, जिसमें प्रति०नं० 1 बाबूलाल का 1/4 हिस्सा है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में से ख०नं० 210 की 22.07 बीघा में से प्रति०नं० 1 के 1/4 हिस्सा यानी रकबा 5.10 बीघा व उसमें कुआ लगा हुआ है जिसका हिस्सा 1/3 भाग का वादी को दिनांक 09.05.1988 को 30000/-रु० में वैचान कर वैचान की तहरीर 20/- रु० के स्याम पर आलेखित करने के आधार पर प्रति०नं० 1 के स्थान पर 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है।

हमने वादी के वाद पत्र का अवलोकन किया वादी ने अपने वाद की मद नं० 5 में आलेखित किया है कि " वादी, प्रतिवादी कम 1 से खरीद की गई आराजी का वैचान पत्र का पंजीयन करवाने के लिये कई बार निवेदन करने के बाद भी प्रतिवादी बार बार टालम टोल करने लग गया तथा स्वेच्छा से उक्त विक्रय शुद्धा आराजी की रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।"

[3]


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)


वादी ने अपने वाद की मद नं० 6 में आलेखित किया है कि "वादी उक्त कय शुद्ध आराजी पर सन् 1988 से शांति पूर्वक कब्जे काश्त करता आया है, वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार टीनेट घोषित होने योग्य है। वादी उक्त कय शुद्ध आराजी का विक्रय पत्र के पंजीयन हेतु नियमानुसार स्टॉम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के लिये भी तैयार है।"

" साथ ही वादी ने अपने वाद की मद नं० 10 में यह आलेखित किया है कि "वाद कारण दिनांक 1.06.14 को पैदा हुआ है। जब कि प्रतिवादी से वादी के द्वारा कहने पर स्वयं के द्वारा चलकर वैचान पत्र तस्दीक करवाने से मना कर दिया और आराजी को रहन वैचान कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी।"

हमने तथाकथित वैचाननामा तहरीर का अवलोकन किया। यह दिनांक 09.05.1988 को 20/-रु० के स्टॉम्प पर आलेखित किया गया है। इसमें आलेखित है कि बाबूलाल वल्द पन्ना गिरी जाति गुसाईं साकिन दहीखेडा तह० खानपुर ने अपने खाते की 5.10 बीघा जमीन व कुआ का 1/3 हिस्सा 30000/-रु० में कालूलाल वल्द धूलीलाल जाति भीना साकिन केथूनी को वैचान कर दिया है तथा तीस हजार रूपये प्राप्त कर लिये हैं। इस तहरीर में यह भी अंकित है कि आप जब भी कहेंगे, मैं आपको जमीन 5.10 बीघा व कुये 1/3 की रजिस्ट्री करा दूंगा। इस तहरीर में आराजी के खसरा नम्बर, रकबा व गांव का नाम अंकित नहीं है और न ही आराजी पर कब्जा देने का कथन अंकित है। इस दस्तावेज में आराजी व कुये का वैचान 30000/-रु० में दर्शाया गया है, जबकि कानूनन 100/- रु० से अधिक की सम्पत्ति के कय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है। यहां तथाकथित दस्तावेज वैचान पत्र अपंजीकृत है, जिसमें आराजी के खसरा नम्बर, रकबा व गांव का नाम भी अंकित नहीं है। ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जब ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज से वादी/केता को प्रति०नं० 1 के हिस्से की आराजी के संबंध में कोई अधिकार सृजित ही नहीं होते तो वादी को दिनांक 01.06.2014 को स्पष्ट रूप से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। यहां पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का है। विधिनुसार यह सही है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अनुतोष प्रदान करने एवं संविदा की पालना कराने संबंधी वादों का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अनुतोष चाहा है। राजस्थान टीनेसी एक्ट में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी कानूनन नहीं दी जा सकती है। यहां हम अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नजीरों से पूर्ण रूप से सहमत हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में अपंजीकृत वैचाननामों एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ग्राम केथूनी की ख०नं० 210 की 22.07 बीघा के 1/4 भाग पर प्रति०नं० 1 के स्थान पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जहां प्रथमतः वादी को वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। साथ ही विधिनुसार अपंजीकृत वैचाननामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। जब प्रथमतः वादी को वाद कारण

[4]


उपस्थान्त अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

ही उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है तथा वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी नं० 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद-पत्र संख्या 936/2017 खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपस्यण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपस्यण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

